

जिला न्यायालय मुंबई

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशायत जज

ना. ३३/१४
०१/१४

नम्बर
अदालत
हुक्म
में जा

तारीख
हुक्म

१३/०३/१५
पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उप। वार्ड
वहस प्रा. आपति प्रा.पत्र एवं मूल प्रकरण पत्रावली
दिनांक १३/०३/१५ को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

१४/०३/१५

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उप। वार्ड
वहस प्रा. आपति प्रा.पत्र एवं मूल प्रकरण पत्रावली
दिनांक १४/०३/१५ को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

बादी कुर्द (दीमा)

१५/०३/१५

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उप। वार्ड
वहस प्रा. आपति प्रा.पत्र एवं मूल प्रकरण पत्रावली
दिनांक १५/०३/१५ को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

बादी कुर्द (दीमा)

०३/०३/१५

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उप। वार्ड
आपति व मूल प्रकरण पर वकील उमयपक्ष कहसुनी
तार्स्ते आदेश पत्रावली दिनांक ०३/०३/१५ को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

बादी कुर्द (दीमा)

०४/०३/१५

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उप। हमने वहस
प्रारंभिक आपति व मूल प्रकरण पर मनन किया।
प्रार्थनापत्र प्रारंभिक आपति एवं पत्रावली का अवलोकन
किया गया। वहस उमयपक्ष पर मनन करने एवं
अपील प्रा.पत्र एवं प्रारंभिक आपति प्रा.पत्र एवं पत्रावली
के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रारंभिक
आपति खारिज की जाती है तथा प्रार्थी प्रार्थना पत्र
अपील गमांतरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है
अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अपील कि. ६ आदेश राम
पंचायत गादरवाडा गूजरान दिनांक २९/०३/१५

नम्बर 334-2000-10 तारीख फा
अहकाम
जारी

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
CrII

अदालत

क्लेक्टर

मुकाम

बांटीकुई

गिरिन

बनाम

मुडरे

म मुकदमा

मा. 3पील

नं०

सन

04
2024

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

नामान्तुरण से 15 ग्राम गादखाण गूबरान स्वीकार
किया जाकर तहसीलदा बांटीकुई को रिमाण्ड किया
जाता है कि अक्त नामान्तुरण की विधिवत सुनवाई
कर पुनः नामान्तुरण फैसल करे। विस्तृत निर्णय पृथक्
से लिखा जाकर शामिल फावली किया गया। पलना
हुकु तहसीलदा बांटीकुई को तहसीर जारी हो। फावली
फैसलशुमार हेतु बाद तज्मील दाखिल दफ्तर हो।

W 6 04/3/24
उप खण्ड अधिकारी
बांटीकुई (दोसा)



न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
FD-1420-11840

प्रकरण संख्या :- 04 / 2024

प्रकरण चायर् दिनांक :- 24.06.2024

प्रकरण निर्णय दिनांक :- 04.03.2025

उनवान

1. गिराज पुत्र गंगासहाय
2. धर्मसिंह पुत्र गंगासहाय
3. कमल पुत्र रामरतन
4. सुमेर पुत्र रामरतन
5. प्यारसिंह पुत्र रामरतन
6. हरिसिंह पुत्र किलाण
7. उम्मेद पुत्र किलाण
8. हीरालाल पुत्र रामसहाय
9. काना पुत्र रामसहाय
10. गिराज पुत्र रामसहाय
11. शिवदान पुत्र रामसहाय
12. बना पुत्र रामसहाय
13. राधाकिशन पुत्र रामजीलाल
14. विश्राम पुत्र मुरली उर्फ मूलचंद
15. रमेश पुत्र परत्या
16. कैलाश पुत्र बीला
17. कमल पुत्र जगदीश
18. विक्रम पुत्र जगदीश
19. राधाकिशन पुत्र पॉच्या
20. किशोर पुत्र रमसी
21. हरिसिंह पुत्र रमसी

समस्त जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान तहसील बांदीकुई जिला दौसा
:-अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश पुत्र नाथू
2. सुरजान पुत्र नाथू
3. रामसिंह पुत्र भरता
4. बीरबल पुत्र भरता
5. रामेश्वर पुत्र नारायण
6. विजय पुत्र नारायण
7. रामकिशन पुत्र नारायण

समस्त जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान तहसील बांदीकुई जिला दौसा
8. ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जरिये सरपंच

:- रेस्पोंडेंट

अप्री



अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा दिनांक 29.01.61 जो नामान्तरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा

अपीलांटी द्वारा विरुद्ध रेस्पोंडेंट जयें वकील श्री विनोद कुमार विजय के नामान्तरण अपील पेश की गयी जिसका संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है कि सेटलमेंट पूर्व खसरा नंबर 4, 28, 50, 62, 72, 86, 286, 303 कुल किता 8 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार भौरया वल्द कालू जाति गुर्जर निवासी गादरवाडा गुजरान था उक्त भौरया वल्द कालू का देहान्त हो गया, और उक्त भौरया पुत्र कालू ने किसी को भी गोद नहीं लिया है। मूल्या रामकुंवार का पुत्र था और रामकुंवार की विरासत का नामान्तरण मूल्या के नाम खुला है, भौरया पुत्र कालू के वारिसान अपील में वर्णित सजरे अनुसार व आज दिन वारिस अपीलान्त व रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगा 7 है। उक्त भूमि के सेटलमेंट होकर नये खसरे नंबरान 109, 110, 173, 4, 55, 82, 97 कुल किता 7 कुल रकबा 1.62 है 0 बने है। उक्त भौरया पुत्र कालू का मूल्या पुत्र रामकुंवार दत्तक पुत्र नहीं होने व उसे भौरया द्वारा गोद नहीं लेने के बावजूद भी फर्जीवाडा करके उक्त मूल्या पुत्र रामकुंवार ने अपने आप को फर्जी तरीके से अपने आप को भौरया पुत्र कालू का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान बिना कोई जाँच किये बिना मिलीभगत से सरपंच गादरवाडा गुजरान से अपने हक में दिनांक 29.01.61 को तस्दीक करवा लिया और उक्त मूल्या पुत्र रामकुंवार ने जो इन्द्राज अपने नाम मूल्या दत्तक पुत्र भौरया का करवा लिया था उक्त मूल्या की मृत्यु होने पर फर्जी तरीके से भरता, नारायण पुत्रान रामकुंवार के वारिसान ने नामान्तरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान दिनांक 5.09.2012 को उक्त भूमि का तस्दीक करवा लिया जिसकी अपीलान्त को कतई जानकारी नहीं थी। अतः अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान के आदेश दिनांक 29.01.61 जो नामान्तरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया गया है के विरुद्ध निम्न आधारों पर श्रीमान के समक्ष अपील अपीलान्त पेश है:-

निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्त को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना व बिना वारिसान की जाँच किये बिना व भौरया पुत्र कालू का मूल्या दत्तक पुत्र नहीं होने के बावजूद भी फर्जी तरीके से उसे दत्तक पुत्र बताकर उक्त निर्णय पारित किया गया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। भौरया पुत्र कालू के वारिस उपर वर्णित सजरे अनुसार व आज दिन अपीलान्त व रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगा 7 है तथा मौके पर भौरया की समस्त भूमि पर अपीलान्त व रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगा 7 का हिस्से अनुसार कब्जा है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वारिसान की व बिना कब्जे की जाँच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। निर्णय ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा किया जाता है अकेले सरपंच को निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं था किन्तु नामान्तरण अकेले सरपंच ने तस्दीक करके कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। कानूनन गोद पुत्र के संबंध में निर्णय करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं था ना ही कोई गोदनामा प्रस्तुत हुआ था और गोदपुत्र सिद्ध भी नहीं था, मूल्या, रामकुंवार का पुत्र था जो इस बात से सिद्ध था कि रामकुंवार की विरासत का नामान्तरण मूल्या के नाम खुला है किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने किसी भी बात पर गौर नहीं करके और निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान

अधिवक्ता

अधिवक्ता

दिनांक 29.01.61 जो नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान निर्णय दिनांक 5.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 जो ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया है कि अपीलान्त को कतई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्त को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना अपीलान्त की अनुपस्थिति में बिना वारिसान की जाँच किये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्त को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम दिनांक 16.06.2024 को अपीलान्त नंबर 1 व 2 अपनी उक्त भूमि के अपने हिस्से की भूमि में काश्त करने के लिये देखभाल कर रहे थे कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगा० 7 ने आकर धमकी दी कि उक्त जमीन हमारे नाम है इसलिये तुमने उक्त भूमि को अब तक बोककर खा लिया सो खा लिया अब तुम्हे उक्त भूमि में फसल नहीं करने देगे तो अपीलान्त ने कहा कि उक्त भूमि अपनी पैतृक भूमि है हिस्से अनुसार हमारा कब्जा है आप हमे बेदखल करने वाले कौन होते हो तो उक्त लोगो ने धमकी दी कि उक्त भूमि वर्तमान में हमारे नाम है इसलिये हम उक्त भूमि से अब तुम्हे बेदखल करेगे और बेदखल नहीं हो सके तो किसी लाठी वाले को विक्रय करेगे और जानकारी की तो मालूम पड़ा कि उक्त भूमि रेस्पोंडेंट नंबर 3 लगा० 7 व नाथू के नाम है तब अपीलान्त ने दिनांक 18.06.2024 को दौसा आकर रिकार्ड रूम में तलाश किया तो जानकारी में आया कि भौरया पुत्र कालू की मृत्यु होने पर रामकुंवार के पुत्र मूल्या ने अपने आप को फर्जी तरीके से भौरया पुत्र कालू का दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान ग्राम पंचायत के सरपंच से तस्दीक करवाकर और उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवा ली और जानकारी करने पर मालूम हुआ कि मूल्या की मृत्यु होने पर मूल्या पुत्र रामकुवार को मूल्या पुत्र भौरया बताकर और उसकी विरासत का नामान्तकरण रेस्पो नंबर 3 लगा० 7 व नाथू एवं मूली देवी के नाम नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान दिनांक 5.09.2012 को तस्दीक कर रखा है तब अपीलान्त ने दिनांक 18.06.2024 को ही उक्त नामान्तकरण व अन्य कागजात की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 18.06.2024 को मिली तब उक्त नकल को अधिवक्ता को दिखाया तो अधिवक्ता ने बताया कि मूल्या की विरासत का नामान्तकरण खुला है उसकी भी नकल लो तब दिनांक 18.06.2024 को उक्त नामान्तकरण संख्या 501 की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर मिली तब अधिवक्ता नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है जो जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थन पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। वैसे भी उक्त आदेश अवैध व प्रभावशून्य आदेश है और ऐसे आदेश की अपील की कोई मयाद भी नहीं होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा हाल बांदीकुई दिनांक 29.01.61 जो नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे। अपीलांटी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद पेश किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान दिनांक 29.01.61 जो नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान निर्णय दिनांक 5.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 जो ग्राम गादरवाडा गुजरान पर पारित किया है कि अपीलांत की कतई जानकारी नहीं थी क्यो कि उक्त निर्णय अपीलान्त को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना अपीलान्त की अनुपस्थिति में बिना वारिसान की जाँच किये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्त को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम दिनांक 16.06.2024 को अपीलान्त नंबर 1 व 2 अपनी उक्त भूमि

अपिले

सर्व उच्च न्यायालय



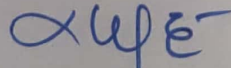
को अपने हिरसे की भूमि में काशत करने के लिये देखभाल कर रहे थे कि रेस्पोंडेंट नंबर 1
 लगा 7 ने आकर धमकी दी कि उक्त जमीन हमारे नाम है इसलिये तुमने उक्त भूमि को
 अब तक बोक रखा लिया सो खा लिया अब तुम्हें उक्त भूमि में फसल नहीं करने देगे तो
 अपीलान्ट ने कहा कि उक्त भूमि अपनी पैतृक भूमि है हिरसे अनुसार हमारा कब्जा है आप
 हमें बेदखल करने वाले कौन होते हो तो उक्त लोगों ने धमकी दी कि उक्त भूमि वर्तमान में
 हमारे नाम है इसलिये हम उक्त भूमि से अब तुम्हें बेदखल करेंगे और बेदखल नहीं हो सके
 तो किसी लाठी वाले को विक्रय करेंगे और जानकारी की तो मालूम पड़ा कि उक्त भूमि
 रेस्पोंडेंट नंबर 3 लगा 7 व नाथू के नाम है तब अपीलान्ट ने दिनांक 18.06.2024 को दौसा
 आकर रिकार्ड रूम में तलाश किया तो जानकारी में आया कि भौरया पुत्र कालू की मृत्यु
 होने पर रामकुंवार के पुत्र मूल्या ने अपने आप को फर्जी तरीके से भौरया पुत्र कालू का
 दत्तक पुत्र बताकर नामान्तकरण 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान ग्राम पंचायत के सरपंच से
 तस्दीक करवाकर और उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवा ली और जानकारी करने
 पर मालूम हुआ कि मूल्या की मृत्यु होने पर मूल्या पुत्र रामकुंवार को मूल्या पुत्र भौरया
 बताकर और उसकी विरासत का नामान्तकरण रेस्पोंडेंट नंबर 3 लगा 7 व नाथू एवं मूली देवी
 के नाम नामान्तकरण संख्या 501 ग्राम गादरवाडा गुजरान दिनांक 5.09.2012 को तस्दीक
 कर रखा है तब अपीलान्ट ने दिनांक 18.06.2024 को ही उक्त नामान्तकरण व अन्य कागजात
 की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 18.06. 2024
 को मिली तब उक्त नकल को अधिवक्ता को दिखाया तो अधिवक्ता ने बताया कि मूल्या की
 विरासत का नामान्तकरण खुला है उसकी भी नकल लो तब दिनांक 18.06.2024 को उक्त
 नामान्तकरण संख्या 501 की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर
 मिली तब सर्वप्रथम उक्त आदेशों की जानकारी हुई इससे पूर्व कतई जानकारी नहीं थी
 इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है जिसको श्रीमान द्वारा क्षमा किया जाकर अपील को
 अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। यह कि वैसे भी उक्त आदेश अवैध व
 प्रभावशून्य आदेश है और ऐसे आदेश की अपील की कोई मयाद भी नहीं होती है किन्तु
 फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि
 अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाने
 की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस विधिवत की गयी।
 रेस्पोंडेंट संख्या 01 लगायत 04 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनसिंह उपस्थित आये।
 रेस्पोंडेंट संख्या 05 लगायत 08 बावजूद जर्ज रजिस्ट्री एडी नोटिस तामील उपस्थित नहीं
 आने पर रेस्पोंडेंट संख्या 05 लगायत 08 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई
 गयी। रेस्पोंडेंट संख्या 01 लगायत 04 की ओर से प्रारंभिक आपत्ति पेश की गयी कि
 उनवानी प्रकरण अपील में वर्णित पारिवारिक सजरा सही नहीं है जो कि विश्वसनीय व
 प्रमाणित दस्तावेज नहीं है और अपीलांत व रेस्पोंडेंट एक परिवार के सदस्य नहीं होकर
 अलग अलग परिवार के सदस्य है अपीलांत व रेस्पोंडेंट का परिवार में दूर दूर तक कोई
 पारिवारिक संबंध नहीं है पारिवारिक सजरा बिल्कुल गलत है और न ही अपीलांत को अपील
 करने का कोई अधिकार है। अपीलांत का अपील में वर्णित भूमि सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर
 4, 28, 50, 62, 72, 86, 286, 303 कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा से कोई
 संबंध सरोकार अधिकार व आधिपत्य नहीं है रेस्पोंडेंट 1 लगायत 7 एक ही परिवार के
 सदस्य है और उक्त भूमि उन्हें विरासत में प्राप्त हुई है जो कि तत्कालीन समय से ही

अथ-



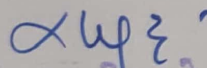
काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं जिसकी अपीलांट को भली भांती जानकारी है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के दादा व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के पिता भरता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7 के पिता नारायण का सगाभाई मूल्या था और मूल्या भौरया के गोद चला गया था भौरया के कोई जाइन्दा संतान नहीं थी भौरया का दत्तक पुत्र मूल्या था भौरया की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 29 जनवरी 1961 को ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान ने जाँच कर तस्दीक करवाया गया था जो कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 15 से प्रमाणित है उक्त नामान्तकरण की अपीलांट को भली भांती जानकारी है जिस का भी उक्त नामान्तकरण में स्पष्ट प्रमाण है नामान्तकरण के कोलम संख्या 16 की पूर्ति अपीलांट संख्या 13 के दादा रघुनाथ द्वारा ही अवगत कराई गयी थी जिस में स्पष्ट अंकन है जो कि रघुनाथ की अंगूठा निशानी है ऐसी सूरत में अपीलांट का कहना की जानकारी नहीं थी व फर्जकारी कर रेस्पोडेन्ट व स्व. मूल्या ने प्रश्नगत नामान्तरण खुलवा लिया बिल्कुल गलत है उक्त नामान्तरण विधिवत नामांतकरण तस्दीक हुआ है ऐसी सूरत में अपील निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा न्यायालय को भ्रमित करने के अपील में गलत तथ्य अंकित किये गये हैं जो कि प्रश्नगत नामांतकरण में कही अंकित नहीं है कि " भौरया व रामकुमार भाई हो " दोनो को भाई बताकर मूल्या द्वारा प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 15 तस्दीक करवाया गया हो बल्कि वास्तविक व सही बात यह है कि मूल्या के नाम प्रश्नगत नामांतकरण गोद पुत्र की हैसियत से तस्दीक हुआ है मूल्या भौरया के गोद गया हुआ था भौरया के कोई जाइन्दा संतान नहीं थी भौरया द्वारा मूल्या को गोद लिया गया था जो भौरया की मृत्यु के बाद विधिवत प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 15 गोद पुत्र की हैसियत से रघुनाथ की उपस्थिति में जाँच कर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था जिस की विधिवत व नियम अनुसार जाँच कर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया था जो कि एक विधि सम्मत नामांतकरण है उक्त नामांतकरण के विरुद्ध जानकारी के विरुद्ध जानकारी के बावजूद भी 63 वर्ष बाद अपील पेश की है जो बहुत लम्बी अवधि बाद अपील पेश की है जो मियाद बाहर है जो कि प्रारंभिक स्टेज पर निरस्तनीय है। तत्कालीन खातेदार मूल्या दत्तक पुत्र भौरया द्वारा उक्त प्रश्नगत नामांतकरण द्वारा विरासत में प्राप्त आराजी में से कुछ भूमि का बेचान कर दिया गया था उक्त विक्रय की गयी आराजी के खातेदार काबिज काश्त कर वर्तमान खातेदारों को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है वर्तमान खातेदारों को पक्षकार बनाए बिना व सुने बिना अपील चलने योग्य नहीं है वर्तमान खातेदारों व काबिज काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक व न्यायोचित था ऐसी सूरत में अपील अपीलांट निरस्तनीय है। तत्कालीन खातेदार मूल्या दत्तक पुत्र भौरया की मृत्यु के बाद उसकी विरासत प्रथम श्रेणी के वारिसान जो कि मूल्या के सगाभाई भरता व नारायण के वारिसो को जायेगी जो कि नियमानुसार विधिक वारिसान है मूल्या की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 501 दिनांक 05.09.2012 को ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान द्वारा नियमानुसार विधिवत कानूनन मूल्या के सगाभाई स्व भरता व स्व नारायण के वारिसान नाथू, रामसिंह, बीरबल, पिता भरता, मूली पत्नि भरता व रामेश्वर विजयसिंह, रामकिशन पिता नारायण के नाम तस्दीक किया गया है जो कि एक विधि सम्मत नामांतकरण है जिस की ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत व नियमानुसार जाँच कर तस्दीक फरमाया गया है ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है उक्त प्रश्नगत नामांतकरण में अंकित आराजी से अपीलांट का दूर दूर तक कोई


 उप खण्ड अधिकारी
 बाँदीकई (दोसा)

संबंध सरोकार अधिकार आधिपत्य नहीं है और न ही उक्त नामांतकरण में पक्षकार है और न ही अपीलांत प्रभावित है ऐसी सूरत में अपीलांतगण को अपील प्रस्तुत करने कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जो कि अपील अपीलांत निरस्तनीय है। उक्त प्रश्नगत नामांतकरणों में वर्णित आराजी पर तत्कालीन समय में स्व मूल्या दत्तक पुत्र भौरया का कब्जा व स्वामित्व था जिसकी मृत्यु के बाद वर्तमान खातेदारों का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है अपीलांतगण का कोई संबंध नहीं है ऐसी सूरत में अपील अपीलांत निरस्तनीय है अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2, 3, 4 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांत मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावें।

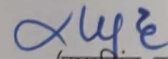
अपीलांत द्वारा अपील प्रार्थना पत्र के संलग्न दफा 5 कानून मयाद पेश किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान दिनांक 29.01.61 जो नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गूजरान निर्णय दिनांक 05.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 जो ग्राम गादरवाडा गूजरान पर पारित किया है कि अपीलांत को कतई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलांत को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस दिये बिना अपीलांत की अनुपस्थिति में बिना वारिसान की जांच किये बिना परित किया गया है इसलिये अपीलांत को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करें। रेस्पोंडेन्ट लगायत 01 लगायत 04 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र दफा 5 का पेश किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गादरवाडा गूजरान दिनांक 29.01.61 जो नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गूजरान निर्णय दिनांक 05.09.2012 जो नामान्तकरण संख्या 501 जो ग्राम गादरवाडा गूजरान पर पारित किया है कि अपीलांत को भली भांती जानकारी है जिसका उक्त नामान्तकरण में स्पष्ट प्रमाण है नामान्तकरण के कोलम संख्या 16 की पूर्ति अपीलांत संख्या 13 के दादा रघुनाथ के द्वारा ही अवगत कराई गयी थी जिसमें स्पष्ट अंकन है जो रघुनाथ की अंगूठा निशानी है ऐसी सूरत में अपीलांत का कहना की जानकारी नहीं थी बिल्कुल गलत है उक्त नामान्तकरण के विरुद्ध जानकारी के बावजूद भी 63 वर्ष बाद अपील पेश की है व नामान्तकरण संख्या 501 दिनांक 05.09.2012 जो 13 वर्ष बाद पेश की है जो बहुत लम्बी अवधि बाद अपील पेश की है जो बहुत लम्बी अवधि बाद अपील पेश की है जो मियाद बहार है जो कि प्रारंभिक स्टेज पर निरस्तनीय है। अपीलांत द्वारा इस संबंध में लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1992 पेज 598, आर आर डी 1992 पेज 239 आर आर डी 1997 पेज 105, आर आर डी 1997 पेज 287, आर आर डी 1994 पेज 77, आर आर डी 1994 पेज 308, आर आर डी 1990 पेज 384, आर आर डी 1990 पेज 441, आर आर डी 1997 पेज 587, आर आर डी 1998 पेज 319, आर आर डी 1995 पेज 576, आर आर डी 1995 पेज 113, आर आर डी 1996 पेज 380, 474, तथा आर आर डी 1996 पेज 425 पेश किये। प्रार्थना पत्र दफा 5 पर उभयपक्ष वकील को सुना। अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पेश किया गया है जिसका गुणावगुण के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांत द्वारा अपील प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट्स की ओर से अपीलान्ट्स वकील द्वारा लिखित बहस मय उक्त न्यायिक दृष्टांत पेश किये। हमने प्रारंभिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पर उभयपक्ष


उप सचिव अधिकारी
बांदीकुई (बीकु)

वकील बहस सुनी। प्रारंभिक आपत्ति, प्रार्थना पत्र अपील नामान्तरण एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, अपीलांदस द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में न्यायिक दृष्टांती का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान द्वारा नामान्तरण फैसल करते समय अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी नहीं किये जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया। ना ही रेस्पोंडेंटगण द्वारा मूल्या, मौरया के गोद गया हो इस बाबत कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पत्रावली में पेश नहीं किया है। उपरोक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण/रेस्पोंडेंटगण द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है कि अपीलांट अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई दिनांक 29.01.61 नामान्तरण संख्या 15 ग्राम गादरवाडा गुजरान स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान के निर्णय दिनांक 29.01.61 द्वारा खोले गये नामान्तरण संख्या 15 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामान्तरण की विधिवत सुनवाई कर पुनः नामान्तरण फैसल करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।



(रामसिंह राजावत)

उप खण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई